तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना** **उनवानी धुड़ाराम बनाम तहसीलदार नीमकाथाना मु.सं. 702/2023**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-04-2025		

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पूर्व में तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया जाता हैं। वकील प्रार्थी की प्रकरण में बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी में बंटवारे के अनुसार राजस्व अभिलेख में सही अंकन किया गया हैं किन्तु राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 627/2 व 628/2 को पश्चिमी ओर दर्शाने की बजाय भूलवश पूर्व दिशा में दर्शा दिया गया जबकि खसरा नम्बर 627/1 व 628/1 पूर्व की ओर तथा भूमि खसरा नम्बर 627/2 व 628/2 पश्चिमी ओर स्थित हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि संलग्न दस्तावेजात तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा की गई रिपोर्ट से होती हैं। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट विभाजन आदेश के साथ संलग्न प्रस्तावित विभाजन नक्शे में खसरा नं. 627/2 दो बार दर्ज किया गया हैं तथा 628/1 नही दर्शाया गया हैं जिसके कारण 628/1 की स्थिति स्पष्ट नही की जा सकती है। अतः उक्त तथ्यों के मध्य नजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं. धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:–

<u>**आदेश**</u>

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम रूपावास पटवार हल्का मावण्डा आर.एस. तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 627/1, 628/1, 627/2 व 628/2 में राजस्व अभिलेख के नक्शा ट्रेश में ख. नं. 627/1, 628/1 पूर्व की ओर तथा भूमि ख. नं. 627/2 व 628/2 को पश्चिमी ओर अंकन किया जाना दुरूस्त किया जाता हैं। उक्त [illegible] राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना